न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 75/2020 निर्णय दिनांकः 23.8.2021
ऑनलाईन नम्बर 2020/00160

1. नानूराम
2. भैराराम
3. मुन्नीराम
4. श्रवणराम
5. गोविन्दराम

पुत्रगण ओकारराम जाति मेघवाल निवासीगण जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर ।

बनाम

1. ओकारराम पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल निवासी जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ
2. ताराचन्द पुत्र ओकारराम जाति मेघवाल निवासी जैसलसरं तहसील श्रीडूंगरगढ
3. छीना पुत्री ओकारराम पत्नी खेताराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड संख्या 1 कालूबास श्रीडूंगरगढ
4. छोटू पुत्री ओकारराम पत्नी ईश्वरराम जाति मेघवाल निवासी सुजानगढ नोहडिया कल्याणसर जिला चूरू।
5. शाखा प्रबंधक स्टैट बैक ऑफ इण्डिया बैक शाखा श्रीडूंगरगढ
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ

उपस्थितिः–

1. के.के.पुरोहित अभिभाषक वादी
2. श्री रामलाल नायक अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 ता 04
3. श्री राजूराम जाखड अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 05
4. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद नानूराम वगैरहा ने जरिये अधिक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ग्राम जैसलसर के निवासी हैं। प्रतिवादी सख्या 1 वादीगण के पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादीगण के सगे भाई बहिने है। यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 220 तादादी 16.39 हैक्टेयर बारानी वाके रोही ग्राम जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 284 तादादी 7.02 हैक्टैयर बारानी वाके रोही ग्राम जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर मे स्थित है जिसमें प्रतिवादी सख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता नारायणराम पुत्र रेडाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। यह है कि उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण के पूर्वज नारायणराम पुत्र रेडाराम की होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 नारायणराम के सहदायिक है तथा जन्म से ही उपरोक्त कृषि भूमि मे वादीगण का हक हिस्सा है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुका है तथा वह अपने ससुराल में निवास कर रही है। उन्हे उनका हिस्सा दहेज के रूप में दिया जा चुका है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने वादगत कृषि भूमि में से अपना हक हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड दिया है। यह है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 220 तादादी 16.39 हैक्टेयर वाके रोही जेसलसर में वादीगण का कुल 8/27 हिस्सा व खेत खसरा नंबर 284 तादादी 7.02 हैक्टेयर वाके रोही जैसलसर में वादीगण का 8/18 हिस्सा है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। यह है कि वादीगण अपने हिस्सा पांति मं आई कृषि भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या 6 से मिला तथा जमांबदी मं वादीगण का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन दिनांक 25.11.2020 को निवेदन किया ता प्रतिवादी संख्या ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुये खाता विभाजन कर जमाबंदी में नाम दर्ज करने से मना कर दिया यही वाद हेतुक है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 5 से के.सी.सी. व कृषि ऋण प्रतिवादी संख्या 1 का लिया हुआ था। जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष वादगत कृषि भूमि रहन है। इसलिये पक्षकार संयोजि किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 5 की ऋण राशि जमा की जाकर नोड्यूज प्रमाण पत्र दिनांक 20.11.2020 को प्राप्त किया जा चुका है। यह है कि वादीगत कृषि भूमि का लेण्ड होल्डर प्रतिवादी संख्या 6 है जिसे आवश्यक पक्षकार होने के पक्षकार संयोजित किया गया है । प्रतिवादी संख्या 6 से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। यह है कि दावा पूर्ण कोर्ट फीस व समयाधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है। तथा वादगत कृषि भूमि श्रीडूंगरगढ तहसील में स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह है कि आवश्यक पक्षकार की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 6 को पक्षकार बनाया गया है। कानूनी आपतियो को ध्यान में रखते हुये स्टैट के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 (2) सी.पी.सी. की नोटिस की छूट न्यायालय श्रीमानजी से प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय कि डिकी आज्ञाप्त फरमाई जावे।

(क) कि इस आशय की डिकी आज्ञाप्त कर घोषणा कि जावे कि वादगत खेत नंबर 220 तादादी 16.39 हैक्टैयर बारानी वाके रोही ग्राम जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में 8/27 हिस्सा ब.हि.ब. खातेदारी अधिकारों को घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड मं अंकन किया जावे।

(ख) कि इस आशय की डिकी आज्ञाप्त कर घोषणा कि जावे कि वादगत खेत नंबर 284 तादादी 7.02 हैक्टैयर बारानी वाके रोही ग्राम जैसलसर तहसील श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में 8/18 हिस्सा ब.हि.ब खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

(ग) कि अन्य अनुतोष हितकर वादी हो प्रदान करें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया राजीनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 की और से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 की और से पैरोकारराज उपस्थित। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 20.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 5 की ऋण राशि जमा की जाकर नोड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त कर किया जा चुका है। वादी एवं प्रतिवादी को जरिये राजीनामा वाद को स्वीकार करनें में कोई आपति नही होने के कारण वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत नंबर 220 तादादी 16.39 हैक्टैयर बारानी वाके रोही ग्राम जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में 8/27 हिस्सा ब.हि.ब. व खेत नंबर 284 तादादी 7.02 हैक्टैयर बारानी वाके रोही ग्राम जैसलसर तहसील श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में 8/18 हिस्सा ब.हि.ब की खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोडा गया है। अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ अधिक दिये गये हिस्से पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प शुल्क वसूल करने के वाद वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) सत्यमेव जयते

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ़

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

नानूराम वगै. पुत्रगण ओंकारराम जातियान मेघवाल निवासीगण जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ बनाम ओंकाराम वगैरहा

दावा बाबत घोषणा
मुकदमा नम्बर 75/2020
निर्णय दिनांकः 23.8.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाला कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 रामलाल नायक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 राजूराम जाखड अधिवक्ता व पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत नंबर 220 तादादी 16.39 हैक्टैयर बारानी वाके रोही ग्राम जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में 8/27 हिस्सा ब.हि.ब. व खेत नंबर 284 तादादी 7.02 हैक्टैयर बारानी वाके रोही ग्राम जैसलसर तहसील श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में 8/18 हिस्सा ब.हि.ब की खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोडा गया है। अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ अधिक दिये गये हिस्से पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प शुल्क वसूल करने के बाद वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक23 माह 08 सन् 2021 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) सत्यमेव जयते *

(हस्ता.)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

(हस्ता.)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)